



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.10.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ थाना पैलानी पुलिस द्वारा मकान से आभूषण आदि चोरी करने वाले वांछित अभियुक्त को अवैध सूखे गांजे के साथ किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की आभूषण बिक्री के 4500 रुपए नकद सहित 1300 ग्राम अवैध सूखा गांजा आदि बरामद।
- ❖ अभियुक्त द्वारा दिनांक 13/14.07.2026 को रात्रि को ग्राम खैरई से मकान में चोरी करके चला गया था सूरत। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जिस पर पूर्व में भी चोरी, मारपीट आदि सहित आधा दर्जन से अधिक मामले हैं दर्ज।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षक व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री प्रतिज्ञा सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 25.10.2026 को थाना पैलानी द्वारा मकान में चोरी करने वाले वांछित अभियुक्त को अवैध सूखे गांजे व चोरी के सामानों की बिक्री से प्राप्त नकद रुपए आदि के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि आज दिनांक 25.10.2026 थाना पैलानी पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ग्राम साड़ी-खैरई मार्ग पर अवैध सूखा गांजा लिए जा रहा है। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल टीम के साथ मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति थैला लिए जा रहा था पुलिस द्वारा व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ करते हुए तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ। साथ ही आरोपी के बारे में गहनता से जानकारी करने पर पाया गया कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध चोरी व मारपीट आदि सहित आधा दर्जन से अधिक मामलों दर्ज हैं। तत्पश्चात पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ की गई तो पाया गया कि कुछ महिने पूर्व ग्राम खैरई में दिनांक 13/14.07.2026 की रात्रि में एक मकान में चोरी हुई थी जिसके सम्बन्ध में थाना पैलानी में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके सम्बन्ध में उक्त व्यक्ति काफी समय से वांछित चल रहा था। कड़ाई से पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए चोरी करने की घटना को स्वीकार किया तथा बताया कि उक्त चोरी के बाद गांव में जब पुलिस ज्यादा आने-जाने लगी तो वह चोरी के सामानों के साथ सूरत चला गया था व नवरात्रि/दशहरा कुछ दिन पूर्व वह वापस गांव आया था। अभियुक्त के पास से बरामद 4500 रुपए के बारे में पूछा गया तो बताया कि चोरी के आभूषणों को उसने सूरत में राह चलते एक व्यक्ति को बेच दिया था उसी के बच्चे हुए ये रुपए हैं और रुपए बाकी रुपए उसने खर्च कर दिए साथ ही अभियुक्त की निशादेही पर चोरी किए आभूषण के बैग व पारदर्शी डिब्बी भी बरामद किया गया है जिसे उसने अपने खेत के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार मा0 न्यायालय भेजा गया। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जिस पर पूर्व में भी मारपीट, चोरी आदि जैसे मामलों में करीब आधा दर्जन से भी अधिक मामलों दर्ज हैं।

बरामदगी-

- 1300 ग्राम अवैध सूखा गांजा
- 4500 रुपए नगद (चोरी की आभूषण बिक्री से प्राप्त)
- 01 काला बैग (चोरी के)
- 01 पारदर्शी प्लास्टिक की डिब्बी (चोरी के)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. भूखन उर्फ भूषण निवासी खैरई थाना पैलानी जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 157/26 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा ।
2. मु0अ0सं0- 228/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त भूखन उर्फ भूषण उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0- 215/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना पैलानी जनपद बांदा ।
2. मु0अ0सं0- 101/22 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना पैलानी जनपद बांदा ।
3. मु0अ0सं0- 222/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना पैलानी जनपद बांदा ।
4. मु0अ0सं0- 223/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा ।
5. मु0अ0सं0- 42/26 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा ।
6. मु0अ0सं0- 73/26 धारा 115(2)191(2)/191(3)/351(3)/352 बीएनएस व 3(2)va एससी/एसटी एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा ।
7. मु0अ0सं0- 74/26 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा ।

गिरफ्तार करने वाली की टीम-

1. श्री राम मोहन राय प्र0नि0 थाना पैलानी
2. श्री कृष्ण प्रताप सिंह चौकी प्रभारी खण्टिहाकलां
3. हे0कां0 धीरेन्द्र सिंह
4. हे0कां0 अनिल कुमार
5. कां0 देवेन्द्र सिंह